—::— छ0ग0 स्टेट वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन —::—

——————————— प्रधान—कार्यालय, 22, आनंद नगर, रायपुर ———————————

क्रमांक / छगवेका / स्था0 / संविदा / 2009—10 / 11249   रायपुर दिनांक :— 20.01.2010

विज्ञापन

छ0ग0 स्टेट वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन, रायपुर में राज्य स्तरीय संवर्ग के निम्नांकित पदों / कार्य हेतु इच्छुक एवं पात्र उम्मीदवारों से निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र दिनांक 20.02.10 तक आमंत्रित किये जाते हैं :—

क्र0	सेवा का नाम	सेवा देने वाले अधिकारी	विवरण	पारिश्रमिक
1	उप—अभियंता (सिविल)	04	डिग्री / डिप्लोमा इन सिविल इंजनियरिंग निर्माण कार्य में दो वर्ष का अनुभव	संविदा नियुक्ति पर शासन द्वारा निर्धारित देय वेतन
2.	निगम में कार्यरत अधिकारी / कर्मचारी की विभागीय जॉच हेतु सेवाऐं लिया जाना	01	राज्य प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्तअधिकारी	सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश अनुसार
3	भू—संपदा अधिकारी	01	कनि0प्रशासनिक सेवा / राज्य प्रशासनिक सेवा के कनि0 वेतनमान से सेवानिवृत्त अधिकारी	संविदा नियुक्ति पर शासन द्वारा निर्धारित देय वेतन
4	विधि सलाहकार (उच्चन्यायालय, जिला न्यायालय, श्रम न्यायालय आदि)	—	पंजीकृत अधिवक्ता एवं 5 वर्ष से अधिक न्यायालयीन कार्य का अनुभव	शासन द्वारा स्वीकृत राशि अनुसार प्रत्येक प्रकरण पर भुगतान

उपरोक्त वर्णित पद / कार्य हेतु नियुक्ति के संबंध में विस्तृत विवरण एवं नियम शर्ते आदि की जानकारी निम्नानुसार है :—

(1) उपयंत्री (सिविल) — 04 पद

1. रिक्त पद संख्या, आरक्षण एवं वेतन आदि की जानकारी

क्र0	पदनाम	रिक्त पद संख्या	वेतन प्रतिमाह राशि रू0	अनारक्षित	अ0ज0जा0	अ0जा0	अन्य पिछड़ा वर्ग	योग (पद संख्या)
01	उप—अभियंता (सिविल)	04	8000 / — एक मुश्त	02	01	01	0	04

क्रमश—2

टीप— वेतनः— संविदा वेतन के अतिरिक्त कोई भी भत्ता देय नहीं होगा और किसी भी प्रकार की वेतन वृद्धि की पात्रता नहीं होगी।

2. **न्यूनतम अर्हता**— (1) **शैक्षणिक**—शासन से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से डिग्री/डिप्लोमा इन सिविल इंजिनियरिंग। **(2) अनुभव**—निर्माण कार्य में 02 वर्ष का अनुभव। शासकीय विभागों/सार्वजनिक उपक्रमों /स्थानीय निकायों में भवन/सड़क कार्यों के अनुभव प्राप्त अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जावेगी।

3. **नियुक्ति अवधि**—संविदा नियुक्ति रिक्त पदों पर एक वर्ष की होगी। आवश्यकता के आधार पर एवं संविदा नियुक्ति व्यक्ति की उपयोगिता का आंकलन कर नवीन संविदा नियुक्ति कर नियुक्ति अवधि बढ़ाई जा सकेगी। संविदा नियुक्ति की अवधि समाप्त पर संविदा नियुक्ति स्वतः समाप्त हो जायेगी।

4. **आयु सीमा**— दिनांक **01 जनवरी 2010** को उसने **21 वर्श** की आयु पूर्ण कर ली हो, किन्तु **35 वर्श** से अधिक न हो।

<u>उच्चतम आयु सीमा में छूट</u> :—छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी आदेश/नियमों के तहत।

5. **चयन प्रकिया**—

उम्मीदवारों का चयन निर्धारित अर्हता पूर्ण करने वाले अभ्यर्थियों की निर्धारित शैक्षणिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के मेरिट आधार पर किया जायेगा। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्रीधारी को प्राथमिकता दी जावेगी।

शासकीय विभागों/उपक्रमों/स्थानीय निकायों में भवन व सड़क के कार्य के अनुभव को प्राथमिकता दी जावेगी। अशासकीय संस्थाओं के अनुभव को चयन समिति द्वारा मान्य करने हेतु मापदण्ड तैयार किये जावेगें। अनुभव की ग्राहता के संबध में चयन समिति का निर्णय अंतिम होगा।

बी0ई0 एवं डिप्लोमा के अनुभव एवं अर्हताधारी अभ्यर्थियों की पृथक—पृथक मेरिट सूची तैयार की जावेगी। पहले बी0ई0 अभ्यर्थियों की सूची पर विचार किया जावेगा।

6. **आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथी— दिनांक 20.02.10**

7. **शर्तेः**—

(01). इस नियुक्ति में छ0ग0 सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2004 एवं तत्संबंध में छ0ग0 शासन द्वारा समय—समय पर जारी आदेश/शर्ते/निर्देश लागू होगें ।

(02). छ0ग0 का मूल निवासी होना अनिवार्य है, जिसकी पुष्टि हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न किया जावे ।

(03). पद के निर्धारित अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता/अनुभव न्यूनतम है और इन अर्हताओं के होने मात्र से ही आवेदक नियुक्ति का हकदार नहीं होगा ।

(04) आवेदक अपनी अर्हता की जॉच स्वयं कर लें तथा विज्ञप्ति पद के लिये निर्धारित अर्हता/शर्तो को पूरा करने पर ही आवेदन पत्र भेजें । चयन के किसी भी स्तर पर आवेदन के अयोग्य पाये जाने पर उनका आवेदन पत्र निरस्त कर उसकी उम्मीदवारी समाप्त की जावेगी ।

(05) आरक्षण जाति की पुष्टि हेतु आवेदक को प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी प्रमाणित छायाप्रति आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। ऐसे आवेदकों के नियुक्ति के समय आयोग द्वारा जाति सत्यापन प्रमाण पत्र की प्रमाणित छायाप्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(06). उम्मीदवार का चयन, चयन समिति द्वारा निर्धारित प्रकियानुसार उपयुक्तता के आधार पर किया जावेगा ।

...3

(07) संविदा नियुक्ति की स्थिति में मासिक एकमुश्त राशि रूपये 8000/—प्रतिमाह देय होगी।

(08). संविदा पर नियुक्ति व्यक्ति को अस्थाई शासकीय सेवक के समान अवकाश की पात्रता होगी ।

(09) संविदा पर नियुक्त पर यात्रा भत्ता शासकीय सेवकों के समान होगा ।

(10) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 से शासित होगें ।

(11) नियुक्ति के दौरान दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना या इसके एवज में एक माह का वेतन देकर नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी ।

(12) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को सेवा समाप्ति पश्चात् संविदा नियुक्ति निगम सेवक के रूप में जितनी अवधि तक सेवा दी गई है, उस अवधि के लिये किसी भी प्रकार का पेंशन, उपादान या मृत्युलाभ आदि की पात्रता नहीं होगी ।

(13) संविदा पर नियुक्त कर्मचारी का गोपनीय प्रतिवेदन लिखा जाएगा, ताकि यदि आगामी वर्ष हेतु पुनः संविदा नियुक्ति दी जानी हो, तो इसके आधार पर कार्य का मूल्यांकन हो सके ।

(14). संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों को निगम सेवकों के समान चिकित्सा प्रतिपूर्ति की भी पात्रता होगी

(15) शासकीय अथवा अर्द्धशासकीय/निजि संस्थाओं में कार्यरत अपना आवेदन पत्र नियोक्ता के अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित प्रस्तुत करें ताकि बाद में अनावश्यक विषम स्थिति उत्पन्न न हो।

(16). (अ) आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र में हस्तलिखित अथवा टंकण करवाकर प्रस्तुत कर सकेगे ।

(ब) आवेदक अपने आवेदन पत्र में निर्दिष्ठ स्थान पर स्वयं के पासपोर्ट साइज की फोटो चस्पा करें/चिपकाएँ ।

(स) आयु संबंधी प्रमाण पत्र के लिये हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी का प्रमाण पत्र/अंक सूची एवं समस्त शैक्षणिक अर्हता हेतु अभिप्रमाणित शैक्षणिक प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करना अनिवार्य है ।

(द) विज्ञापित पद के अनुभव प्रमाण पत्र के संबंध में यह स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए कि संबंधित संस्था/विभाग में कितने मासिक वेतन पर कब से कब तक कार्यरत रहे है एवं इस संबंध में नियोक्ता के प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें ।

(17). अपूर्ण एवं निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा ।

(18) आवेदक के विरूद्ध पुलिस थाना में प्रकरण दर्ज की जानकारी संज्ञान में आने पर नियुक्ति किसी भी समय बिना नोटिस के निरस्त किया जा सकेगा ।

(19) शासन द्वारा निर्धारित आयु अर्थात् महिलाओं के लिए 18 वर्ष एवं पुरूषो के लिए 21 वर्ष से कम आयु में विवाह करने वाले उम्मीदवार नियुक्ति के पात्र नही होगें, ऐसे उम्मीदवार आवेदन न करें ।

(20) आवेदन पत्र में असत्य जानकारी देने पर आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जावेगा साथ ही नियमानुसार आवेदक के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी ।

8. **आवेदन करने हेतु आवश्यक निर्देशः**—सभी आवश्यक सह—पत्रों सहित पूर्ण भरे हुए आवेदन पत्र निगम मुख्यालय आनंद नगर रायपुर में दिनांक 20.02.10 तक की शामं 05.00 बजे तक अथवा उसके पूर्व आवश्यक रूप से प्राप्त हो जाने चाहिए। किसी भी प्रकार के विलम्ब के लिये निगम उत्तरदायी नहीं होगा। अंतिम तिथी के बाद आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जावेगें एवं वे स्वतः ही निरस्त समझे जावेगें। इस संबंध में पत्र व्यवहार मान्य नही होगा।

....4

9. आवेदन का नमूना

आवेदन पत्र का प्रारूप

प्रति,

राजपत्रित अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित हाल ही का पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ चिपकाएं

प्रबंध संचालक,
छ0ग0 स्टेट वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन,
22, आनंद नगर, रायपुर

01. आवेदित पद का नाम :—
02. आवेदक का पूरा नाम (हिन्दी में) :—
(अंग्रेजी में) :—
03. पिता/पति का नाम :—

04. जन्म तिथि (अंकों में) :—
(शब्दों में)
दिनांक— 01.01.2010 को आयु :— दिन ——— माह ——— वर्ष ———
05. (i) वर्तमान डाक पता :—

(ii) पत्र व्यवहार का पता :—
06. क्या छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं, :—
हॉ या नहीं ।
07. क्या अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/
अन्य पिछड़ा वर्ग के हैं, जाति का उल्लेख करें :—
08.

अ— **शैक्षणिक अर्हता एवं अनुभव**

क्र0	परीक्षा का नाम	बोर्ड/वि0वि0 का नाम	विषय	श्रेणी	कुल प्राप्तांक	कुल प्राप्तांकों का प्रतिशत
01	02	03	04	05	06	07

ब— **कार्य अनुभव का संक्षिप्त विवरण** :—

क्र0	कार्य का संक्षिप्त विवरण एवं विभाग का नाम	प्राप्त मूल वेतन	अनुभव की अवधि दिनांक से दिनांक तक	कुल अवधि
01	02	04	05	06

टीपः—शैक्षणिक योग्यता तथा अनुभव के प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रतिलिपि संलग्न करें ।

9. विवाहित/अविवाहित :—
10. अंतिम बच्चे की जन्मतिथि :—
11. क्या आप निर्धारित आयु सीमा :— मे छूट का दावा करते है यदि हॉ तो कितने वर्ष, किस कारण से विवरण दर्शावे (साक्ष्य में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें)

दिनांक—
स्थान— आवेदक के हस्ताक्षर एवं पता

घोषणा पत्र

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता हूॅ कि मैने विज्ञापित पद की पात्रता संबंधी शर्तो को पढ़ लिया है, जहॉ तक मेरी जानकारी और विश्वास में है कि इस आवेदन पत्र की सभी प्रविष्टियॉ पूर्ण एवं सत्य है । त्रुटिपूर्ण एवं छिपाकर अथवा अपूर्ण और असत्य जानकारी प्रस्तुत करने पर आवेदन पत्र स्वतः निरस्त माना जावेगा तथा चयन/नियुक्ति बिना नोटिस के निरस्त/समाप्त की जा सकेगी । मूल दस्तावेज/प्रमाण पत्र मॉगे जाने पर प्रस्तुत किये जायेंगे ।

संलग्न सह पत्रों का विवरण:—

01. शैक्षणिक योग्यता की अंकसूची
02. कार्य अनुभव प्रमाण पत्र

आवेदक के हस्ताक्षर
दिनांक सहित
नाम एवं पता

---

(2) विभागीय जॉच अधिकारी — (01)

1.कार्य का स्वरूपः—निगम में कार्यरत अधिकारी एवं कर्मचारियों के विभागीय जॉच प्रकरणों के निराकरण हेतु राज्य प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी को विभागीय जॉच अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाना है।

2. कार्य व्यवस्था :—विभागीय जॉच अधिकारी को कार्य करने के लिये कार्यालय में बैठने की सुविधा दी जावेगी एवं एक टायपिस्ट उपलब्ध कराया जावेगा जो विभागीय जॉच की रिकार्ड भी रखेगा तथा लिखा पढ़ी टायपिंग कार्य में सहयोग भी देगा, परन्तु किसी अपरिहार्य कारणवश स्टाफ न होने के कारण ऐसी सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जा सकेगी। तब प्रत्येक प्रकरण पर नियत राशि की 20 % अतिरिक्त धनराशि ऐसी विभागीय जॉच अधिकारी के उपलब्ध कराई जावेगी। विभागीय जॉच अधिकारी इस राशि से अपने सहयोग के लिये समुचित व्यवस्था कर सकेगा।

3.अर्हता— राज्य प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी जिनको विभागीय नियमों एवं विभागीय जॉच से संबंधित नियमों/प्रक्रिया का अच्छा ज्ञान हो एवं इस प्रकार के प्रकरणों के निपटारे में दक्ष हो ।

4. नियुक्ति अवधि—चयनित सेवानिवृत्त अधिकारी को कार्य के मान से प्रथम बार 06 माह के लिये रखा जावेगा, परन्तु कार्य की आवश्यकता होने पर वृद्धि की जा सकेगी।
(1) विभागीय जॉच अधिकारी को कभी भी हटाया जा सकेगा या उससे कार्य वापस लिया जा सकेगा ।

(2) विभागीय जॉच अधिकारी स्वंय भी लिखित सूचना देकर कार्य से पृथक हो सकेगा,परंतु उसे एक सप्ताह के भीतर सभी रिकार्ड सक्षम अधिकारी को सौपना होगा।

5. मानदेयः–**विभागीय जॉच अधिकारी के रूप में कार्य करने वाले सेवानिवृत्त शासकीय अधिकारी को मानदेय छ0ग0शासन द्वारा निर्धारित दर एवं मापदण्डों के अनुसार।**

6. **चयन प्रकिया–**

विभागीय जॉच अधिकारी के निगम द्वारा चयन करने के लिये चयन समिति गठित किया जायेगा। उनके द्वारा आवेदकों के सेवा अवधि को देखते हुए सूची तैयार की जावेगी जिस पर नियुक्ति हेतु विचार किया जावेगा।

7. **शर्तें–**

1. सेवानिवृत्त अधिकारी प्रथम श्रेणी पद पर सेवा करते हुए सेवानिवृत्त हुए हो ।
2. सेवानिवृत्त अधिकारी, आयु मे 65 वर्ष से अधिक नही होना चाहिये ।
3. सेवानिवृत्त अधिकारी राज्य शासन के अधीन या किसी सार्वजनिक संस्थान में अथवा किसी निजी संस्थान में कोई कार्य नही कर रहा हो ।
4. सेवानिवृत्त अधिकारी सेवानिवृत्त से समय पूर्व के 5 वर्षो में कभी दण्डित नही हुआ हो ।
5. सेवानिवृत्त अधिकारी की स्वास्थ्य की दृष्टि में कार्य करने योग्य होना चाहिये
6. प्रशासकीय क्षेत्र के या लंबे समय तक स्थापना कार्य देखने वाले अनुभवी सेवानिवृत्त अधिकारी को प्राथमिकता दी जा सकेगी ।
7. ऐसा चयनित सेवानिवृत्त अधिकारी का पद नाम विभागीय जॉच अधिकारी होगा।
8. विभागीय जांच 6 माह में पूर्ण की जावेगी यदि किसी कारणवश वृद्घि की जाना हो तो पहली बार में 3 माह तथा दूसरी बार में अधिकतम 3 माह के लिए सक्षम अधिकारी द्वारा समयावधि में वृद्घि की जा सकेगी । परंतु एक वर्ष के भीतर जॉच पूरी करना अनिवार्य होगा।
9. चयनित अधिकारी को कार्य के मान से कम से कम 6 माह या एक वर्ष के लिए जैसी भी सुविधा हो रखा जा सकेगा ।
10. चयनित अधिकारी को सक्षम अधिकारी द्वारा कभी भी हटाया जा सकेगा या उससे कार्य वापस लिया जा सकेगा ।
11. चयनित अधिकारी विभागीय जॉच अधिकारी की हैसियत से कार्य करते हुए भी भारतीय दण्ड संहिता की धारा 21 की बारहवें खण्ड के **ए** के अनुसार **लोक सेवक** ही माना जावेगा

8. **आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथी– दिनांक 20.02.10**

9. **आवेदन करने हेतु आवश्यक निर्देशः–** सभी आवश्यक सह–पत्रों सहित पूर्ण बायोडाटा एवं वर्तमान के पासपोर्ट फोटो सहित आवेदन पत्र निगम मुख्यालय आनंद नगर रायपुर में दिनांक 20.02.10 तक की शामं 05.00 बजे तक अथवा उसके पूर्व आवश्यक रूप से प्राप्त हो जाने चाहिए। किसी भी प्रकार के विलम्ब के लिये निगम उत्तरदायी नहीं होगा। अंतिम तिथी के बाद आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जावेगें एवं वे स्वतः ही निरस्त समझे जावेगें। इस संबंध में पत्र व्यवहार मान्य नही होगा।

10. आवेदन पत्र का नमूना – निर्धारित नहीं

(3) भू–संपदा अधिकारी (सलाहकार) – 01

1. **कार्य का स्वरूपः–** छ0ग0 स्टेट वेयरहाउसिंग कार्पो0 के शाखा 106 जगहों पर स्थित है । गोदामों के स्वामित्व परीक्षण शासन द्वारा आबंटित भूमि प्रब्याजि/स्वामित्व आदि मामलों संबधी एवं कार्यो एवं शासकीय विभाग से संबंधित कार्य ।

2. **अर्हता–** कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा/राज्य प्रशासनिक सेवा के कनिष्ठ वेतनमान से सेवानिवृत्त अधिकारी

3. **नियुक्ति अवधि–**चयनित अधिकारी को कार्य के मान से 1 वर्ष के लिए रखा जा सकेगा । ऐसे चयनित अधिकारी को सक्षम अधिकारी द्वारा कभी भी हटाया जा सकेगा या उससे कार्य वापस लिया जा सकेगा । चयनित अधिकारी स्वंय भी लिखित सूचना देकर कार्य से पृथक हो सकेगा, परंतु उसे एक सप्ताह के भीतर सभी रिकार्ड सक्षम अधिकारी को सौपना होगा ।

4. **मानदेय–**शासकीय सेवा में रहते समय सेवानिवृत्ति के समय प्राप्त अंतिम वेतन में से देय पेंशन की राशि कम की जाकर एक मुश्त राशि मानदेय के रूप में दी जावेगी। उक्त राशि के अलावा अन्य किसी भी प्रकार के भत्ता देय नही है।

5. **चयन प्रकिया–**

आवेदकों के प्राप्त आवेदनों की जॉच हेतु निगम द्वारा चयन समिति गठित किया जावेगा। गठित चयन समिति द्वारा आवेदकों के अनुभव के समग्र मूल्याकन कर सूची तैयार की जावेगी। वरिष्ठता के आधार पर उच्च्य पद पर सेवानिवृत्ति को प्राथमिकता दी जावेगी।

6. **शर्तेः–** सेवानिवृत्त कर्मचारी की पात्रता निम्नानुसार होगी :–

   1. कनि0प्रशासनिक सेवा/राज्य प्रशासनिक सेवा करते हुए सेवानिवृत्त हुए हो ।
   2. सेवानिवृत्त अधिकारी, आयु 65 वर्ष से अधिक नही होना चाहिये ।
   3. सेवानिवृत्त अधिकारी राज्य शासन के अधीन या किसी सार्वजनिक संस्थान में अथवा किसी निजी संस्थान में कोई कार्य नही कर रहा हो ।
   5. सेवानिवृत्त अधिकारी सेवानिवृत्त से समय पूर्व के 5 वर्षो में कभी दण्डित नही हुआ हो ।
   6. सेवानिवृत्त अधिकारी की स्वास्थ्य की दृष्टि में कार्य करने योग्य होना चाहिये
   7. शासकीय विभागम में लम्बे समय तक भूमि/राजस्व संबंधी कार्य अनुभवी सेवानिवृत्त अधिकारी को प्राथमिकता दी जा सकेगी ।
   8. चयनित सेवानिवृत्त अधिकारी को कार्य के मान से एक वर्ष के लिए रखा जा सकेगा ।
   9. चयनित अधिकारी को सक्षम अधिकारी द्वारा कभी भी हटाया जा सकेगा या उससे कार्य वापस लिया जा सकेगा ।
   10. चयनित अधिकारी भू–संपदा अधिकारी की हैसियत से कार्य करते हुए भी भारतीय दण्ड संहिता की धारा 21 की बारहवें खण्ड के **ए** के अनुसार **लोक सेवक** ही माना जावेगा ।

7. **आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथी–** **दिनांक 20.02.10**

8. **आवेदन करने हेतु आवश्यक निर्देशः–**सभी आवश्यक सह–पत्रों सहित पूर्ण बायोडाटा एवं वर्तमान पासपोर्ट फोटो सहित आवेदन पत्र निगम मुख्यालय आनंद नगर रायपुर में दिनांक 20.02.10 तक की शामं 05.00 बजे तक अथवा उसके पूर्व आवश्यक रूप से प्राप्त हो जाने चाहिए। किसी भी प्रकार के विलम्ब के लिये निगम उत्तरदायी नहीं होगा। अंतिम तिथी के बाद आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जावेगें एवं वे स्वतः ही निरस्त समझे जावेगें। इस संबंध में पत्र व्यवहार मान्य नही होगा।

9. आवेदन का नमूना – निर्धारित नहीं

–8

(4) विधि सलाहकार –(उच्च न्यायालय, श्रम न्यायालय, एवं जिला न्यायालय हेतु)

1. **कार्य का स्वरूपः–** निगम के विभिन्न वाद प्रकरण उच्च न्यायालय, श्रम न्यायालय एवं जिला न्यायालय में प्रचलन में है। वाद में जवाबदावा सुनवाई, उपस्थिती एवं समय–समय पर प्रकरण नस्ती पर सलाह हेतु विधि सलाहकार की आवश्यकता है जिसका पेनल तैयार किया जाना है।

2. **अर्हता**– पंजीकृत अधिवक्ता एवं 5 वर्ष से अधिक माननीय न्यायालयों में न्यायालयीन कार्य का अनुभव

3. **नियुक्ति अवधि एवं पारिश्रमिक** :–नियुक्ति अवधि एक वर्ष की रहेगी। जिसे कार्य निष्पादन को देखते हुए बढ़ाया जा सकेगा। न्यायालयीन कार्य अनुसार विधि विभाग छ0ग0 शासन द्वारा जारी निर्देश/निर्धारित अनुसार पारिश्रमिक भुगतान किया जावेगा। माननीय उच्च न्यायालय/जिला न्यायालय/श्रम न्यायालय में पैरवी/प्रकरणों हेतु पृथक–पृथक पेनल तैयार किया जावेगा।

4 **चयन प्रकियाः–** आवेदकों के प्राप्त आवेदनों की जॉच हेतु निगम द्वारा चयन समिति गठित किया जावेगा। गठित चयन समिति द्वारा आवेदकों के अनुभव के समग्र मूल्याकन कर सूची तैयार की जावेगी। अनुभव के आधार पर पेनल में प्राथमिकता दी जावेगी।

5. **आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथी– दिनांक 20.02.10**

6 **आवेदन करने हेतु आवश्यक निर्देशः–**सभी आवश्यक सह–पत्रों सहित पूर्ण बायोडाटा सहित आवेदन पत्र निगम मुख्यालय आनंद नगर रायपुर में दिनांक 20.02.10 तक की शामं 05.00 बजे तक अथवा उसके पूर्व आवश्यक रूप से प्राप्त हो जाने चाहिए। किसी भी प्रकार के विलम्ब के लिये निगम उत्तरदायी नहीं होगा। अंतिम तिथी के बाद आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जावेगें एवं वे स्वतः ही निरस्त समझे जावेगें। इस संबंध में पत्र व्यवहार मान्य नही होगा।

7. **आवेदन का नमूना** – निर्धारित नहीं

प्रबंध संचालक

<u>आवेदन पत्र का प्रारूप</u>

प्रति,

राजपत्रित अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित हाल ही का पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ चिपकाएं

प्रबंध संचालक,
छ0ग0 स्टेट वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन,
22, आनंद नगर, रायपुर

01. आवेदित पद का नाम :–
02. आवेदक का पूरा नाम (हिन्दी में) :–
(अंग्रेजी में) :–
03. पिता/पति का नाम :–

04. जन्म तिथि (अंकों में) :–
(शब्दों में)
दिनांक– 01.01.2010 को आयु :– दिन ––––– माह ––––– वर्ष –––

05. (i) वर्तमान डाक पता :–

(ii) पत्र व्यवहार का पता :–
06. क्या छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं, हॉ या नहीं । :–

07. क्या अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग के हैं, जाति का उल्लेख करें :–

08.
अ– **शैक्षणिक अर्हता एवं अनुभव**

क्र0	परीक्षा का नाम	बोर्ड/वि0वि0 का नाम	विषय	श्रेणी	कुल प्राप्तांक	कुल प्राप्तांकों का प्रतिशत
01	02	03	04	05	06	07

ब– **कार्य अनुभव का संक्षिप्त विवरण** :–

क्र0	कार्य का संक्षिप्त विवरण एवं विभाग का नाम	प्राप्त मूल वेतन	अनुभव की अवधि दिनांक से दिनांक तक	कुल अवधि
01	02	04	05	06

टीपः—शैक्षणिक / प्रशैक्षणिक योग्यता तथा अनुभव के प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रतिलिपि संलग्न करें ।

9. विवाहित / अविवाहित :—
10. अंतिम बच्चे की जन्मतिथि :—
11. क्या आप निर्धारित आयु सीमा मे छूट का दावा करते है यदि हो तो कितने वर्ष, किस कारण से विवरण दर्शावे (साक्ष्य में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें) :—

दिनांक—
स्थान— आवेदक के हस्ताक्षर एवं पता

<u>घोषणा पत्र</u>

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता हूँ कि मैने विज्ञापित पद की पात्रता संबंधी शर्तो को पढ़ लिया है, जहॉ तक मेरी जानकारी और विश्वास में है कि इस आवेदन पत्र की सभी प्रविष्टियॉ पूर्ण एवं सत्य है । त्रुटिपूर्ण एवं छिपाकर अथवा अपूर्ण और असत्य जानकारी प्रस्तुत करने पर आवेदन पत्र स्वतः निरस्त माना जावेगा तथा चयन / नियुक्ति बिना नोटिस के निरस्त / समाप्त की जा सकेगी । मूल दस्तावेज / प्रमाण पत्र मॉगे जाने पर प्रस्तुत किये जायेंगे ।

<u>संलग्न सह पत्रों का विवरण</u>:—

01. शैक्षणिक योग्यता की अंकसूची
02. कार्य अनुभव प्रमाण पत्र

आवेदक के हस्ताक्षर
दिनांक सहित
नाम एवं पता